



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे अधिकार अभिलेख पत्र का वितरण

जिले के 5841 लोगों को मिलेगा भूमि का मालिकाना हक, कलेक्टर ने जिला ऑडिटरियम में तैयारियों का लया जायजा



बलौदाबाजार (विश्व परिवार)। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना अंतर्गत अधिकार अभिलेख पत्र का वितरण शनिवार को वरुचुअल माध्यम से करेंगे। योजना के तहत जिले के 5841 लोगों को भूमि का मालिकाना हक मिलेगा। कार्यक्रम का आर्नलाइन प्रसारण एलईडी टीवी के माध्यम से होगा। जिला ऑडिटरियम में शनिवार को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिले के प्रभारी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कलेक्टर श्री दीपक सोनी

ने शुक्रवार को जिला ऑडिटरियम में तैयारियों का जायजा लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। बताया गया कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का

डोन से सर्वे कराया गया है तथा सर्वे एवं सत्यापन के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा अधिकार अभिलेख पत्र तैयार किया गया है। अब तक 45 गांव के 5841 लोगों के अधिकार अभिलेख तैयार किये गये हैं। इसमें तहसील कसडोल अंतर्गत 4 ग्रामों के 657, तहसील दुंडरा के 2 ग्राम के 284, तहसील के 9 ग्राम के 813, बलौदाबाजार के 3 ग्राम के 379, लवन के 4 ग्राम के 310, सुलेला के 9 ग्राम के 1715, सिमगा के 11 ग्राम के 1515, भटापारा के 3 ग्राम के 168 लोगों को अधिकार अभिलेख पत्र का वितरण किया जाएगा। गौरतलब है कि स्वामित्व योजना केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को आबादी वाली भूमि का रिकार्ड तैयार करना है। इसके तहत भूमि स्वामियों को उनकी जमीन का मालिकाना अधिकार दिया जाता है।

चेम्बर ने हवाई यात्रियों को एपेक्स फेयर की सुविधा प्रदान करने की मांग की

रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जगगी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि चेम्बर ने माननीय श्री राम मोहन नायडू जी न्यायिक उड्डयन मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को पत्र प्रेषित कर प्रदेश के हवाई यात्रियों को एपेक्स फेयर की सुविधा प्रदान करने की



मांग की गई। चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी ने नागरिक उड्डयन मंत्री, भारत सरकार को पत्र के माध्यम से बताया कि वर्तमान में प्रदेश के हवाई यात्रियों द्वारा 90 दिन पूर्व या उससे भी पहले हवाई टिकट खरीदे जाने पर भी विमान कंपनियों द्वारा प्रदेश के लोगों को एपेक्स फेयर का लाभ नहीं दिया जा रहा है। आज हवाई यात्रा आवागमन के लिए एक प्रमुख साधन बन चुकी है, जो समय की बचत और सुविधा प्रदान करती है।

कार्यालय, जोन क्रमांक-10, नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

Table with columns: क्र., कार्य का नाम, आगत राशि (लाख में), अमानती राशि, निविदा प्रपत्र मूल्य का, टेकदार की श्रेणी, प्रपत्र एवं एच.ओ.आर. का विवरण, समयावधि

Table with columns: क्र., कार्य का नाम, आगत राशि (लाख में), अमानती राशि, निविदा प्रपत्र मूल्य का, टेकदार की श्रेणी, प्रपत्र एवं एच.ओ.आर. का विवरण, समयावधि

- 1. नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग छ.ग. शासन, रायपुर में एकीकृत पंजीवन प्रणाली से सक्षम श्रेणी में पंजीकृत तथा कार्य के अनुभवी टेकदारों से तीन लिफाफा पद्धति जमा करना है।
2. लिफाफा (अ) में अमानती राशि का एफ.डी.आर. व शपथ पत्र एवं चाही गई समस्त दस्तावेज।
3. लिफाफा (ब) में निविदा प्रपत्र भरकर सीलबंद करना होगा।
4. (अ)+(ब) एक अन्य तीसरे लिफाफा (स) में भरकर ही स्पेड पोस्ट के द्वारा प्राप्त किया जावेगा।
5. सर्वप्रथम लिफाफा (स) खोलने के पश्चात् लिफाफा (अ) खोला जावेगा जिसमें अमानती राशि का एफ.डी.आर. एवं अन्य चाही गई दस्तावेज होने पर ही निविदा प्रपत्र को लिफाफा (ब) खोली जावेगी तथा लिफाफे में अ.ब.स अंकित होगा अनिवार्य है।
6. निविदा जमा करने की तिथि एवं खोलने के तिथि में किसी वजह से अवकाश घोषित होता है किया जावेगा। तो वह कार्यालयीन दिवस में
7. सक्षम श्रेणी का ई-रजिस्ट्रेशन, बैंक सार्वजनिक, अंतिम तीन साल का आईटीआर, पेन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं अंतिम तीन माह का जी.एस.टी.आर. अमानती राशि का एफ.डी.आर. के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
8. तीन वर्ष के आयकर की बाध्यता नए फर्मों के लिए बाध्यकारी नहीं होगी।
9. किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार नगर निगम रायपुर के पास सुरक्षित है।
10. निविदा संबंधी अन्य शर्तें एवं जानकारी का कार्यालय अवधि/दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
11. टेकदार को From A में दिने गये सभी शर्तों के अनुसरण कार्य किये जाना अनिवार्य है।

जोन आयुक्त, जोन क्रमांक-10, नगर पालिक निगम, रायपुर

घरों से निकलने वाले सूखा और गीला करों को सफाई (वाहन) को दें।

न्यायालय तहसीलदार धरसीवा तहसील व जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) // इशतहार // क्रमांक / अ-6/ वर्ष 2024-25 धरसीवा, दिनांक 17.01.2025

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-10) अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर E-mail ID - rmczone10@gmail.com

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-10) अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर E-mail ID - rmczone10@gmail.com

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-10) अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर E-mail ID - rmczone10@gmail.com

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-10) अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर E-mail ID - rmczone10@gmail.com

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-10) अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर E-mail ID - rmczone10@gmail.com

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-10) अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर E-mail ID - rmczone10@gmail.com

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-10) अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर E-mail ID - rmczone10@gmail.com

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-6) रायपुर (जोन क्र.-6) चतुर्थ तल, रायपुर, दिनांक 16-01-2025 इशतहार नामांतरण प्र.क्र. 17584

कार्यालय संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-03, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.) फोन नं.-0771-2991574

कार्यालय संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-03, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.) फोन नं.-0771-2991574

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-10) अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर E-mail ID - rmczone10@gmail.com

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-10) अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर E-mail ID - rmczone10@gmail.com

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-10) अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर E-mail ID - rmczone10@gmail.com

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-10) अमलीडीह पानी टंकी, रायपुर E-mail ID - rmczone10@gmail.com

कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (जोन क्र.-2) शहीद स्मारक भवन, फाकाडीह, रायपुर E-mail ID - rmczone2@gmail.com











